न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120006972022

परिवाद संख्या–08/2022

श्रीमती कविता मिश्रा बनाम रविन्द्र सिंह।

थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–18.04.2022

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थिनी श्री ओउम शान्ती मिश्रा बिल्डिंग मैटेरियल स्ओर की प्रोपराइटर है, जिसके तहत बिल्डिंग मैटेरियल का सामान सीमेन्ट, मौरम, गिट्टी की थोक व फुटकर बिक्री का काम अपने पति के साथ मिल कर करती है। विपक्षी जो कि समय समय पर उक्त फर्म से बिल्डिंग मैटेरियल सीमेन्ट, मौरम, गिट्टी ले लाते रहे, जिसका भुगतान सुविधा अनुसार विपक्षी द्वारा फर्म पर किया जाता रहा था। विपक्षी द्वारा माह अक्टूबर व नवम्बर में परिवादिनी की उक्त फर्म से 2,83,460/–रुपये का बिल्डिंग मैटेरियल सीमेन्ट, मौरम व गिट्टी लिया था। जिसका भुगतान एक माह में करने का वचन दिया था। जब विपक्षी ने समय से परिवादिनी का भुगतान नहीं किया, तो परिवादिनी ने तगादा किया। जिस पर विपक्षी ने दिनांक 10.01.2022 को 2,83,460/–रुपये का चैक संख्या 295387 सिंडीकेट बैंक जो अब कैनरा बैंक के नाम से जानी जाती है, शाखा बिधूना के अपने खाता संख्या 84772200052253 की यह कहते हुए दिया कि अपने खाता में लगाकर भुगतान प्राप्त कर लेना। उक्त चैक को दिनांक 10.01.2022 व 19.02.2022 को अपने बडौदा यू0पी0 बैंक शाखा बिधूना के खाता संख्या 75107365374 में भुगतान हेतु लगाये। जो बैंक द्वारा भुगतान हेतु पर्याप्त निधि न होने की आख्या के साथ परिवादिनी को वापस कर दिया गया। विपक्षी ने परिवादिनी की धनराशि बेईमानी की नियत से हडपने का प्रयास कर उसके छल किया। परिवादिनी ने अपना धन विपक्षी से पाने हेतु दिनांक 24.02.2022 को पंजीकृत नोटिस जरिये अधिवक्ता इस आशय से प्रेषित किया कि वह 15 दिन के अन्दर परिवादिनी को धनराशि अदा कर दें। मगर विपक्षी द्वारा आज तक धन अदायगी नहीं की गयी और न ही नोटिस का कोई जबाव दिया। अतः विपक्षी को धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अन्तर्गत तलब कर दण्डित किये जाने की कृपा करें।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में मूल चैक एक अदद, दो किता मेमोरण्डम बैंक आख्या, नोटिस, रजिस्ट्री रसीद व आधार कार्ड दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथन के समर्थन में परिवादिनी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया, जिसमें परिवाद कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी रविन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अतएव विपक्षी रविन्द्र सिंह को अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 18.05.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O Code No. U.P-3738